तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 117/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
27.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) पंकज कुमार माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओमकार एजेन्सी, इम्पिरियल बेकरी के सामने, गणपति मार्केट, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) पटेल प्रकाश कुमार, नॉमिनी, निर्माता फर्म Rajwadi Dairy Product, F/1 Parth Agro, At. Kamli, Tehsil- Unjha, Mehsana-384170 अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 20.9.2022 को फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) का नमूना संख्या S-1871 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1658/Act/2022/1660 दिनांक 30.9.2022 में अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या–3(तीन) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में दिनांक 21.6.2024 को बहस सुनी गई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी नरेश कुमार की फर्म खुशी किराणा स्टोर से खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) का नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत एवं मौके पर नही की गई है एवं न ही उक्त घी की कोई राशि अदा की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ... प्रपत्रों पर प्रतिवादी नरेश कुमार के हस्ताक्षर करवाये है। ... पर ... को सीलचपडी करने की	

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला न्यायाधीश सिरोही (राज०)
प्रा. जिला न्यायाधीश सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 117/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कार्यवाही भी नही की है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त घी को निर्माता फर्म द्वारा जिस पैकिंग अवस्था में क्रय किया जाता है उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल से कोई छेडछाड नही की गई है। यदि खाद्य पदार्थ घी का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाया गया है तो उसके लिये निर्माता फर्म जिम्मेदार है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 20.9.2022 को समय 11.15 पी.एम. पर फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही पर गये। फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली, निवासी– गुजरात अस्पताल के पास, सिरोही उपस्थित मिलें, जो फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही में खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली को गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 40 पैक्ड जार (प्रत्येक 100 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 8 पैक्ड जार (प्रत्येक 100 एम.एल.) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) की कीमत राशि रुपये 400/– (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1871, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:00 IST
Reason: SelfAttested

न्याया. जिला परिवादक
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 117/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	Ghee (Goudhara) के 100—100 एम.एल. के दो—दो पैक्ड जारों को मिलाकर चार भाग करके चारों नमूना भागों पर पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1871 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली व गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली व गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.9.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 20.9.2022 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नरेश कुमार से खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के पैक्ड जारों (प्रत्येक 100 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के नमूना संख्या S-1871 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1658/Act/2022/1660 दिनांक 30.9.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) का नमूना अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह [illegible] है कि फर्म खुशी किराणा .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 117/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

स्टोर, सदर बाजार, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 100–100 पैक्ड जारों को फर्म ओमकार एजेन्सी, इम्पिरियल बेकरी के सामने, गणपति मार्केट, सदर बाजार, सिरोही से जरिये टेक्स इनवोईस नम्बर 4615 दिनांक 07.9.2022 से क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 (पंकज कुमार माली) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं प्रतिवादी पंकज कुमार माली की फर्म ओमकार एजेन्सी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 100–100 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म Rajwadi Dairy Product, F/1 Parth Agro, At. Kamli, Tehsil- Unjha, Mehsana-384170 से जरिये टेक्स इनवोईस नम्बर GT/675 दिनांक 02.9.2022 से क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 क्रमशः नरेश कुमार एवं पंकज कुमार माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) (100 एम.एल. के पैक्ड जारों) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है एवं प्रतिवादी फर्म Rajwadi Dairy Product, F/1 Parth Agro, At. Kamli, Tehsil- Unjha, Mehsana-384170 द्वारा अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 100–100 एम.एल. के पैक्ड जारों का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत (Misbranded) खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के विक्रय करने हेतु प्रतिवादी नरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) पंकज कुमार माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओमकार एजेन्सी, इम्पिरियल बेकरी के सामने, गणपित मार्केट, सदर बाजार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है एवं अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादी फर्म Rajwadi Dairy Product, F/1 Parth Agro, At. Kamli, Tehsil- [illegible] Mehsana-384170 पर राशि

.......लगातार

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रा० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 117/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण नरेश कुमार, पंकज कुमार माली व निर्माता फर्म Rajwadi Dairy Product, F/1 Parth Agro, At. Kamli, Tehsil- Unjha, Mehsana-384170 के नॉमिनी पटेल प्रकाश कुमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30.7.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:00 IST
Reason: SelfAttested